न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 17/2022

महाबीर सिंह पुत्र श्री मामराज, उम्र 73 साल, जाति जाट, निवासी सूर्यनगर, तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

——अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदारी तहसील सूरजगढ, जिला झुंझुनूं।

——रेस्पोडेन्ट्स

——

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.02.2022 न्यायालय तहसीलदार सूरजगढ बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम महावीर सिंह मु0न0 29/22

——

1. श्री अशोक लाम्बा, एडवोकेट— अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 27.04.2022

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार सूरजगढ के निर्णय दिनांक 24.02.2022 के विरूद्व पेश की गई है। अपील अपीलान्ट के अनुसार कि अपीलान्ट ने दिनांक 30.11.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान में लगे घूमनसर कलां के कैम्प में एक प्रार्थना पत्र गांव घूमनसर कलां के कटानी रास्ते से बजरंग लाल पुत्र चतरू राम द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। जिस प्रार्थना पत्र पर मूल ही पटवारी हल्का को पालना हेतु भेजा गया। पटवारी हल्का ने रास्ते से अतिक्रमण ने मिली भगत कर प्रार्थी/अपीलान्ट के विरूद्ध, झूंठी अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश कर दी व तहसीलदार ने अपीलान्ट को रास्ते पर अतिक्रमी घोषित करने का निर्णय दिनांक 24.02.2022 को पेश कर दिया जिससे व्यथित होकर अपील अपीलान्ट निम्नलिखित प्रकार से पेश है कि न्यायालय मातहत तहसीलदार सूरजगढ का उक्त निर्णय दिनांक 24.02.2022 विरूद्व कानून व पत्रावली है। अपीलान्ट ने रास्ते से अतिक्रमण हटाने के आवेदन देने का नतीजा है अपीलान्ट को अतिक्रमी बता दिया और वास्तव में जो अतिकमी है उनको सुरक्षित किया है यही न्याय व्यवस्था यदि चलती है तो लोगो का कानून से विश्वास उठना स्वाभाविक है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर नपती कराने का निवेदन किया परन्तु तहसीलदार सूरजगढ ने इस पर कोई विचार न करके व मौके पर नपति करवाये बिना ही उक्त [illegible] तहसीलदार सूरजगढ ने अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट [illegible].2014 पेश की और यह निवेदन किया कि उस समय भी रास्ते की नपति [illegible] पायी थी अब नपती करवा कर ही कार्यवाही की जावे परन्तु तहसीलदार सूरजगढ [illegible] रिपोर्ट दिनांक 23.05.2014 को अनदेखा कर व उस पर विश्वास न कर उक्त निर्णय दिनांक 24.02.2022 पारित किया है। [illegible] हल्का ने जो रिपोर्ट तहसीलदार के सामने पेश की उस रिपोर्ट में न [illegible] करके यह नही बताया [illegible] सका कितना अतिक्रमण है हल्का पटवारी द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण करने वालों से साजिस करके अपीलान्ट के विरूद्ध रिपोर्ट की जिस बाबत अपीलान्ट ने तहसीलदार को अवगत करवाया परन्तु तहसीलदार सूरजगढ ने अपीलान्ट की किसी भी बात व साक्ष्य पर विश्वास न करके उक्त निर्णय पारित किया है। अदालत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:25 IST
Reason: SelfAttested

मातहत ने पटवारी हल्का के झूठी रिपोर्ट पेश करने की बिना किसी अधिकार के सत्य मान कर उक्त निर्णय पारित किया है। न्यायालय श्रीमान तहसीलदार सूरजगढ से मौके की स्थिति नपवा कर इस अपील की निर्णय करते है तो वास्तव में अपीलान्ट के साथ न्याय होगा व बन्द रास्ता खुलेगा। इसके अलावा न्यायालय श्रीमान अदालत मातहत का निर्णय अपास्त किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ को मौके पर नपती करवाकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करते है तो भी न्याय होने की सम्भावना है। अदालत मातहत का उक्त निर्णय वेग आरबिटरेरी व प्रवर्स है। अदालत मातहत का उक्त निर्णय निर्णय की परिभाषा में नही आता बल्कि वास्तविक अतिक्रमी को बचाने के लिये जल्द बाजी में किया हुआ निर्णय है। हल्का पटवारी को कैम्प प्रभारी ने दिनाक 30.11.2021 को रिपोर्ट मांगी थी जिस रिपोर्ट को हल्का पटवारी दिनांक 18.2.2022 तक दबाकर बैठा रहा और जब अपीलान्ट ने पुनः तहसीलदार सूरजगढ से रास्ते से अतिक्रमण हटवाने हेतु निवेदन किया तब हल्का पटवारी ने जो न्याय प्राप्त करने गया उसी के खिलाफ अतिक्रमी होने की रिपोर्ट पेश कर दी और तहसीलदार ने उक्त रिपोर्ट पर विश्वास करके निर्णय पारित कर अहम गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत सूरजगढ का उक्त निर्णय अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे व प्रकरण को अदालत मातहत से निवेदन के साथ प्रति प्रेषित किया जाने का आदेश फरमाया जावे। वह नपती रिपोर्ट का गठन करके मौके पर नपति करवाये व वास्तविक अतिक्रमी को रास्ते की भूमि से बेदखल करे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने रास्ते से अतिक्रमण हटाने के आवेदन देने का नतीजा है अपीलान्ट को अतिक्रमी बता दिया और वास्तव में जो अतिक्रमी है उनको सुरक्षित किया है यही न्याय व्यवस्था यदि चलती है तो लोगो का कानून से विश्वास उठना स्वाभाविक है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर होकर नपती कराने का निवेदन किया परन्तु तहसीलदार सूरजगढ ने इस पर कोई विचार न करके व मौके पर नपति करवाये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है। तहसीलदार सूरजगढ ने अपीलान्ट द्वारा पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 23.05.2014 पेश की और यह निवेदन किया कि उस समय भी रास्ते की नपति करवाना चाहा था परन्तु नपती नही हो पायी थी अब नपती करवा कर ही कार्यवाही की जावे परन्तु तहसीलदार सूरजगढ ने उस रिपोर्ट दिनांक 23.05.2014 को अनदेखा कर व उस पर विश्वास न कर उक्त निर्णय दिनांक 24.02.2022 पारित किया है। पटवारी हल्का ने जो रिपोर्ट तहसीलदार के सामने पेश की उस रिपोर्ट में नाप करके यह नही बताया कि किसका कितना अतिक्रमण है हल्का पटवारी द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण करने वालों से साजिस करके अपीलान्ट के विरूद्ध रिपोर्ट की जिस बाबत अपीलान्ट ने तहसीलदार को अवगत करवाया परन्तु तहसीलदार सूरजगढ ने अपीलान्ट की किसी भी बात व साक्ष्य पर विश्वास न करके उक्त निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का के झूठी रिपोर्ट पेश करने की बिना किसी अधिकार के सत्य मान कर उक्त निर्णय पारित किया है। न्यायालय श्रीमान तहसीलदार सूरजगढ से मौके की स्थिति नपवा कर इस अपील की निर्णय करते है तो वास्तव में अपीलान्ट के साथ न्याय होगा व बन्द रास्ता खुलेगा। इसके अलावा न्यायालय श्रीमान अदालत मातहत का निर्णय अपास्त किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ को मौके पर नपती करवाकर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड करते है तो भी न्याय होने की सम्भावना है। अदालत मातहत का उक्त निर्णय वेग आरबिटरेरी व प्रवर्स है। अदालत मातहत का उक्त निर्णय निर्णय की परिभाषा में नही आता बल्कि वास्तविक अतिक्रमी को बचाने के लिये जल्द बाजी में किया हुआ निर्णय है। हल्का पटवारी को कैम्प प्रभारी ने दिनाक 30.11.2021 को रिपोर्ट मांगी थी जिस रिपोर्ट को हल्का पटवारी दिनांक 18.2.2022 तक दबाकर बैठा रहा और जब अपीलान्ट ने पुनः तहसीलदार सूरजगढ से रास्ते से अतिक्रमण हटवाने हेतु निवेदन किया तब हल्का पटवारी ने जो न्याय प्राप्त करने गया उसी के खिलाफ अतिक्रमी होने की रिपोर्ट पेश कर दी और तहसीलदार ने उक्त रिपोर्ट पर विश्वास करके निर्णय पारित कर अहम गलती की है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट की यह अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:25 IST
Reason: SelfAttested

सूरजगढ का उक्त निर्णय अपास्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे व प्रकरण को अदालत मातहत से निवेदन के साथ प्रति प्रेषित किया जाने का आदेश फरमाया जावे। वह नपती रिपोर्ट का गठन करके मौके पर नपति करवाये व वास्तविक अतिक्रमी को रास्ते की भूमि से बेदखल करे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम घूमनसर कलां स्थित सरकारी भूमि ख0न0 304 रकबा 0.71 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन रास्ता मे से 0.0030 है0 भूमि पर तारबन्दी कर अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा उसकी भूमि के साथ–साथ विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी करवा दिया था। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत मे संतोषप्रद जबाब या साक्ष्य प्रस्तुत नही किये है। अदालत मातहत का निर्णय विधिसम्मत है। अतः अपीलान्ट की यह अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। दस्तावेजों के अवलोकन से जाहिर है कि राजकीय अभिभाषक का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को अदालत मातहत द्वारा उसकी भूमि के साथ–साथ विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवा दिया गया था। अपीलान्ट द्वारा अदालत मातहत को संतोषप्रद जबाब या साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। ऐसी स्थिति मे अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व की गई कार्यवाही विधि के अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाती है। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 27.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.05.05 11:15:25 IST
Reason: SelfAttested